(क) क्या देश भर में महिला पुलिस इकाइयों की संख्या से महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आई है;

(ख) महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य में महिला पुलिस इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) राज्य से कितनी महिला पुलिस इकाइयों की मांग थी; और

(घ) मंत्रालय द्वारा अब तक कितनी इकाइयों को संस्वीकृति दी गई है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क): महिलाओं के प्रति अपराध की कमी में महिला पुलिस इकाइयों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, महिला पुलिस थानों ने महिलाओं के प्रति अपराध के पंजीकरण और जाँच को सुकर बनाया है।**

**(ख): बी पी आर एंड डी के प्रकाशन ‘दिनांक 01.01.2011 की स्थिति के अनुसार भारत में पुलिस संगठन संबंधी आँकड़े’ के अनुसार, महाराष्ट्र राज्‍य में कोई महिला पुलिस इकाइयाँ नहीं हैं।**

**(ग) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्‍य के विषय हैं, और, इसलिए, व्यपहरण और अपहरण के अपराध सहित अपराध का निवारण करने, पता लगाने, दर्ज करने और जाँच करने, तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंदर विधि प्रवर्त्तन तंत्र के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। अत: महिला पुलिस थानों को अधिसूचित करने तथा आवश्यक संसाधन उपलब्‍ध कराने की जिम्मेदारी स्वयं राज्‍य सरकार की है और इस मामले में गृह मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।**